न्यायालय विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट–तृतीय/ अपर सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद ।
सत्र परीक्षण वाद सं०–80/2021
सरकार बनाम रितेश श्रीवास्तव आदि

मु०अ०सं०–388/2020
धारा–147, 308, 323, 506, 325 भा०द०सं०
थाना–कोतवाली नगर,
फैजाबाद ।

<u>आरोप</u>

मैं, एकता सिंह, विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट तृतीय/ अपर सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद आप अभियुक्तगण रितेश श्रीवास्तव, प्रदीप यादव उर्फ छोटू यादव, संदीप यादव उर्फ बब्बू यादव, ईशान्त उर्फ सृजन श्रीवास्तव व रोहित पाण्डेय को निम्नरुपेण आरोपित करती हूँ:–

प्रथम– यह कि दिनांक 06.06.2020 को समय शाम 5:30 बजे बहद स्थान जय गणेश स्कूल के पास, क्षेत्र देवकाली, थाना कोतवाली नगर, जिला फैजाबाद में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा सज्जादउल्ला खां के पुत्र रजा खान, उसके मित्र हिमांशु व अलकेश यादव को जान से मारने के सामान्य उद्देश्य से एकत्रित होकर विधि–विरूद्ध जमाव का गठन करके बलवा कारित किया। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरिवर्णित तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा सज्जादउल्ला खां के पुत्र रजा खान, उसके मित्र हिमांशु व अलकेश यादव को लोहे की राड, हॉकी व डण्डा आदि से ऐसी चोटें पहुंचायी, जिससे यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरिवर्णित तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा सज्जादउल्ला खां के पुत्र रजा खान, उसके मित्र हिमांशु व अलकेश यादव को लोहे की राड, हॉकी व डण्डा आदि से मारपीटकर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

चतुर्थ– यह कि उपरिवर्णित तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा सज्जादउल्ला खां के पुत्र रजा खान, उसके मित्र हिमांशु व अलकेश यादव को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम– यह कि उपरिवर्णित तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा सज्जादउल्ला खां के पुत्र रजा खान, उसके मित्र हिमांशु व अलकेश यादव को लोहे की राड, हॉकी व डण्डा आदि से मारपीटकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त आपराधिक धाराओं के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक: 01.09.2021

(एकता सिंह)
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट–तृतीय/
अपर सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और परीक्षण की याचना की।

दिनांक: 01.09.2021

(एकता सिंह)
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट–तृतीय/
अपर सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट–तृतीय/ अपर सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद ।
सत्र परीक्षण वाद सं०–80/2021
सरकार बनाम रितेश श्रीवास्तव आदि

01.09.2021: पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी।

अभियुक्तगण रितेश श्रीवास्तव, प्रदीप यादव उर्फ छोटू यादव, संदीप यादव उर्फ बब्बू यादव, ईशान्त उर्फ सृजन श्रीवास्तव व रोहित पाण्डेय व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित है। बचाव–पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी उपस्थित हैं। पत्रावली आज आरोप विरचन हेतु नियत है ।

मेरे द्वारा आरोप के बिन्दुओं पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया तथा पत्रावली पर मौजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, नक्शा–नज़री सहित समस्त अभियोजन प्रलेखों का परिशीलन किया गया।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने अभियोजन कथानक प्रस्तुत करते हुए पत्रावली में मौजूद अभियोजन अभिलेखों एवं प्रस्तावित साक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया।

अभियोजन प्रलेखों एवं केस डायरी में अंकित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण रितेश श्रीवास्तव, प्रदीप यादव उर्फ छोटू यादव, संदीप यादव उर्फ बब्बू यादव, ईशान्त उर्फ सृजन श्रीवास्तव व रोहित पाण्डेय के विरूद्ध धारा 147, 308, 323, 506, 325 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने के संतोषजनक एवं पर्याप्त आधार है। अतएव उपर्युक्त आपराधिक धारा में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाते हैं। आरोप अलग से हरे पृष्ठ पर टाइप किया गया जिसे अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की याचना की।

पत्रावली दिनांक 25.09.2021 को वास्ते अभियोजन साक्ष्य पेश हो। अभियोजन गवाहान जरिए सम्मन तलब हों।

दिनांक: 01.09.2021

विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट–तृतीय/
अपर सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद।

Digitally signed by Smt Ekta Singh
Date: 2021.09.01 16:40:31 IST
Reason: Charge framed
Location: District and Sessions Court